प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष- 2022 प्र0इ0रि0 सं. 389/22 दिनांक 29/9/2022

2. (I) अधिनियमः-धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018
   (II) अधिनियम ..... धारायें .....
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ..... (अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या 564 समय 5:00 pm.
   (ब) अपराध घटने का दिन-बुधवार, दिनांक 28.09.2022 समय 11.52 एएम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 27.9.2022 समय 1.00 पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :-पुलिस थाना ज्योतिनगर, जयपुर (दक्षिण) आयुक्तालय जयपुर।
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब पश्चिम दिशा करीब 7 किमी
   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम-श्री हेमन्त वर्मा
   (ब) पिता/पति का नाम- श्री हरद्वारी लाल
   (स) जन्म तिथी- उम्र-28 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता- भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय -प्राईवेट
   (ल) पता- निवासी गांव खुदनपुरी तहसील अलवर जिला अलवर हाल डी-23, जे0पी0 कॉलोनी जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -
श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह, जाति राजपूत, उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम खातीपुरा बाढ तहसील सांगानेर, पोस्ट कपुरावाला, पुलिस थाना मुहाना, जिला जयपुर हाल हैड कानि0 417, पुलिस थाना ज्योतीनगर, जयपुर (दक्षिण) आयुक्तालय जयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-5,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 27-9-2022 को परिवादी श्री हेमन्त वर्मा पुत्र श्री हरद्वारी लाल निवासी गांव खुदनपुरी तहसील अलवर जिला अलवर हाल डी-23, जे0पी0 कॉलोनी जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि "सेवामे, श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर, विषय-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाने बाबत महोदय, निवेदन है कि मै हेमन्त वर्मा पुत्र श्री हरद्वारी लाल, उम्र 28 जाति जाटव निवासी G-68 खुदनपुरी अलवर का निवास हूं, हाल D-23 जेपी कॉलोनी ज्योति नगर थाना जयपुर मे निवास करता हूं। मेरी शादी आंजिता पाण्डेय निवासी जयपुर से 1 साल पहले लव

मैरिज हुई थी, जिस पर अंजिता के पिता आनन्द वर्धन पाण्डे ने शिकायत ज्योति नगर थाने मे दी थी जिस पर मेने भी जयपुर कमिश्नरेट मे सुरक्षा बाबत दिया था जिसकी जांच ज्योति नगर थाने के H.C. राजवीर सिंह द्वारा कि जा रही है, जो मुझे इस परिवाद मे मदद के नाम से मुझे ओर मेरी पत्नी को 1 साल से परेशान कर रहा है श्री राजवीर सिंह ने मुझसे 5,000 रू पहले भी लिये है तथा 10,000 रू अंजिता कि मम्मी से भी लिये थे, आज 27-09-22 राजवीर सिंह सुबह 9 बजे मेरे घर आया था और मुझे कहा कि मै आपको 4-5 दिन आपको कॉल कर रहा हूं मेरा कॉल नही उठा रहे हो अभी आपका मामला खतम नही हुआ है। इसे खतम करवाने के लिये रूपये लगेगे, रूपये थाना इंचार्ज मैडम सरोज धायल को भी देने पड़ेगे। उसने बोला है कि 20,000 रू लगेगे जिसमे 10,000 मेरे और 10,000 मैडम को देने पड़ेगे, तब आपका मामला खतम होगा। रूपये लेके थाना पर आ जाना। रूपये नही दोगे तो मै आपको जैल भिजवा दूँगा। मैने पत्नी अंजिता के नाम हाईकोर्ट मे भी सुरक्षा बाबत रिट लगाई थी। मै राजवीर सिंह H.C. व थाना इंचार्ज मैडम सरोज को 20,000 की रिश्वत नही देना चाहता। उक्त दोनो को रिश्वत मे पकड़वाना चाहता हूं। तथा नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा फरमाये। प्रार्थी एसडी/- नाम- हेमन्त वर्मा, Mo 9414700390 Ad- D-23 JP Colony जयपुर''। जिस पर दिनांक 27-9-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री राजवीर सिंह हैड कानि0 द्वारा परिवादी की पत्नि अंजिता द्वारा पुलिस थाना ज्योतिनगर मे पेश किए गए परिवाद व परिवादी के ससुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद मे मैंदद करने की ऐवज में 5,000/- रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया।

दिनांक 27-9-2022 को परिवादी श्री हेमन्त वर्मा पुत्र श्री हरद्वारी लाल निवासी गांव खुदनपुरी तहसील अलवर जिला अलवर हाल डी-23, जे0पी0 कॉलोनी जयपुर को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री हेमन्त वर्मा ने अपने पास से पांच-पांच सौ रूपये 10 नोट राशि 5,000/- रूपये कुल 5,000/- रूपये प्रस्तुत किए है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए पर श्रीमती सुनिता महिला कानि0 43 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 27-9-2022 को मन् पुलिस निरीक्षक नीरज भारद्वाज व ब्यूरो स्टॉफ मय स्वतंत्र गवाह मय आवश्यक सरकारी ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि के सरकारी वाहन व मोटर साईकिल व प्राईवेट वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर थाना ज्योतिनगर पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया परन्तु आरोपी के थाने पर नही मिलने के कारण कार्यवाही नही हो सकी थी। जिस पर वापस ब्यूरो कार्यालय आए।

दिनांक 28-9-2022 को मन् पुलिस निरीक्षक नीरज भारद्वाज व ब्यूरो स्टॉफ मय स्वतंत्र गवाह मय आवश्यक सरकारी ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि के सरकारी वाहन व मोटर साईकिल व प्राईवेट वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर थाना ज्योतिनगर पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

दिनांक 28-9-2022 को समय करीब 11.52 एएम पर परिवादी श्री हेमन्त वर्मा पुत्र श्री हरद्वारी लाल निवासी गांव खुदनपुरी तहसील अलवर जिला अलवर हाल डी-23, जे0पी0 कॉलोनी जयपुर ने थाने के बाहर मनेगेट पर आकर अपने चेहरे पर पहना हुआ चश्मा हटाकर निर्धारित ईशारा मन् पुलिस निरीक्षक को किया। परिवादी का ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक व स्वतंत्र गवाह श्री जतिन चौधरी मय ब्यूरो स्टॉफ के थाना ज्योति नगर के मेनगेट पर परिवादी के पास पहूंचा तो थाने के मेनगेट पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह श्री विकास खण्डेलवाल मौजूद मिला। परिवादी को पूर्व मे दिया गया डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित अपने पास रखा गया। परिवादी ने थाने के बाहर जाते हुए वर्दीधारी हैड कानि0 की तरफ ईशारा कर बताया कि वह राजवीर जी है जिनकी मांग के अनुसार मैने अभी-अभी रिश्वत के 5,000/- रूपये दिए है इस पर वर्दीधारी हैड कानि0 को थाना परिसर से बाहर निकलते हुए को रोककर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजवीर सिंह पुत्र स्व.श्री नारायण सिंह, जाति राजपूत, उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम खातीपुरा बाढ तहसील सांगानेर, पोस्ट कपुरवाला, पुलिस थाना मुहाना, जिला जयपुर हाल हैड कानि0 417, पुलिस थाना ज्योतीनगर, जयपुर (दक्षिण) आयुक्तालय जयपुर होना बताया तथा परिवादी श्री हेमन्त वर्मा से अभी-अभी ली गई रिश्वती राशि 5,000/- रूपये लेने बाबत पूछा तो उसने रिश्वती राशि लेना व अपनी वर्दी की पेंट की बांयी जेब मे रखना बताया। इस पर उक्त हैड कानि0 को साथ लेते हुए थाना के डयूटी ऑफिसर रूम मे प्रवेश कर लिखा पढ़ी आरंभ की गई।

परिवादी श्री हेमन्त वर्मा ने बताया कि मै एवं आपका गवाह श्री विकास खण्डेलवाल एसीबी कार्यालय से रवाना होकर थाने मे बने कम्प्यूटर रूम मे श्री राजवीर सिंह हैड कानि0

से मिला तो वहां पर राजवीर जी हैड साहब और एक व्यक्ति ओर बैठा हुआ था। मैने जाते ही राजवीर जी से नमस्कार किया तो राजवीर ने मुझसे कहा कि पहले आप बयान दे दो। कम्प्यूटर रूम मे बैठे हुए व्यक्ति ने राजवीर के कहने पर मेरे व विकास खण्डेलवाल के बयान लेने के बाद राजवीर जी मेरे व विकास खण्डेलवाल के हस्ताक्षर करवाए इसके बाद मुझे कम्प्यूटर रूम के कमरे से बाहर थाने के चौक मे लेकर गए और चौक मे ले जाकर मुझसे पूर्व मे तय किए गए 5,000/- रूपये अपने हाथ मे लेकर अपनी वर्दी की पेंट मे रख लिए और मुझसे कहा कि आप फ्री हो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नही आएगी व पैसे लेकर राजवीर जी थाने के बाहर की तरफ जाने लगे तभी मैने आपको निर्धारित ईशारा कर दिया। परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को पूर्व मे बताया था कि श्री राजवीर जी ने एक गवाह मेरे साथ बुलाया है इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री विकास खण्डेलवाल को परिवादी के साथ गवाह के रूप मे भेजा था उक्त श्री विकास खण्डेलवाल जो स्वतंत्र गवाह ने भी बताया कि मै एवं श्री हेमन्त वर्मा जी दोनो थाने मे आए थे जहां पर परिवादी श्री हेमन्त वर्मा श्री राजवीर जी हैड साहब से कम्प्यूटर रूम मे मिले थे राजवीर जी के कहेनुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर ने हेमन्त वर्मा के बयान लिए एवं मेरे बयान लिए थे तथा कुछ देर पश्चात् श्री राजवीर जी हैड साहब परिवादी को कम्प्यूटर रूम से बाहर लेकर गए थे उसके थोड़ी देर पश्चात् मै भी परिवादी के पास बाहर आ गया था। उसके बाद परिवादी ने आपको निर्धारित ईशारा कर दिया था।

तत्पश्चात् श्री राजवीर सिंह हैड कानि0 417, पुलिस थाना ज्योति नगर से परिवादी श्री हेमन्त वर्मा से अभी-अभी कुछ समय पहले ली गई रिश्वती राशि 5,000/- रूपये लेने बाबत पूछा तो श्री राजवीर सिंह हैड कानि0 ने परिवादी की तरफ ईशारा कर बताया कि यह हेमन्त वर्मा एक गवाह लेकर मेरे पास आए थे हेमन्त वर्मा के मैने परिवाद मे बयान लिखे थे व गवाह के रूप मे हेमन्त वर्मा के साथ आए व्यक्ति की आईडी मांगी थी हेमन्त वर्मा के विरूद्व दिए गए परिवाद मे मदद करने की ऐवज मे खुशी से इन्होने मुझे 5,000/- रूपये दिए थे जो मेरी पेंट की बांयी जेब मे रखे है मैने हेमन्त वर्मा से कोई रिश्वत के रूपये नही मांगे थे इन्होने अपनी मर्जी से ही दिए थे। इस पर परिवादी श्री हेमन्त वर्मा ने श्री राजवीर सिंह हैड कानि0 की बातो का खण्डन करते हुए बताया कि यह झूंठ बोल रहे है यह कल दिनांक 27-9-2022 को सुबह करीब 9 बजे मेने घर पर आये थे और मुझे कहा था कि मै चार पांच दिन से आपको कॉल कर रहा हूं आप मेरा कॉल नही उठा रहे है अभी आपका मामला खत्म नही हुआ है, खत्म करने के लिए 20,000/- देने पड़ेगे। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा आपके विभाग मे की थी। जिस पर दिनांक 27-9-2022 को जब मै श्री राजवीर सिंह हैड कानि0 से थाने मे आकर मिला था तब इन्होने मेरे से 5,000/- रूपये मांगे थे इनकी मांग के अनुसार ही मैने आज अभी-अभी कुछ समय पहले रिश्वत के 5,000/- रूपये इनको दिए थे जो इन्होने अपने हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई वर्दी की पेंट की बांयी जेब मे रख लिए थे।

तत्पश्चात् थाना परिसर से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर गिलासो को पुनः साबुन पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सेाडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा एक कांच के गिलास के घोल मे श्री राजवीर सिंह हैड कानि0 417 के बांये हाथ की अंगूलिया व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के गिलास के घोल मे श्री राजवीर सिंह हैड कानि0 417 के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे के बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गदमैला रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

श्री राजवीर सिंह हैड कानि0 417 के बतायेनुसार अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की बांयी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जतिन चौधरी से लिवाई गई तो पेंट की जेब मे 500-500 रूपये की एक छोटी गड्डी मिली है जिसको स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- रूपये मिले है जिनका मिलान दोनो स्वतंत्र गवाह से पूर्व मे बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए

गए। उक्त नोटो को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् थाना परिसर से श्री राजवीर सिंह हैड कानि0 के लिए एक शर्ट व लॉवर मंगवाया जाकर बदन पर पहनी हुई वर्दी को उतरवाया जाकर दुसरी शर्ट व लॉवर पहनने को दी गई। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसमे थाना परिसर से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाकर उक्त गिलास को पुनः साबुन पानी से धुलवाकर उसमे प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा घोल मे श्री राजवीर सिंह हैड कानि0 के बदन से उतरवाई गई वर्दी की पेंट की बांयी जेब को उलटवाकर बारी-बारी से घोल मे डुबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेंट की बांयी जेब को सुखवाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली मे रखकर सील चिट मोहर कर कपड़े की थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-पी अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् परिवादी से संबंधित पत्रावली के बारे मे श्री राजवीर सिंह हैड कानि0 417 से पूछा गया तो उसने कम्प्यूटर रूम मे होना बतायी व कम्प्यूटर रूम से स्वयं ने पेश की जिसका अवलोकन किया तो स्वयं ने 20-9-2022 को फाईल (नस्तीबद्व) करने हेतु रिपोर्ट थानाधिकारी को पेश कर दी थी फिर भी परिवादी से रिश्वत की मांग की है। जिसकी फोटो प्रति प्रमाणित करवाकर पेश करने हेतु थानाधिकारी को सुपुर्द की गई जिसकी प्रमाणित प्रति पृथक से जरिये फर्द जप्ती रिकार्ड प्राप्त की गयी।

परिवादी द्वारा दिए गए परिवाद के संबंध में थाने पर मौजूद थानाधिकारी श्रीमती सरोज धायल का नाम होने पर इस संबंध में पूछताछ की गई तो श्रीमती सरोज धायल ने बताया कि उपरोक्त परिवाद की बाद जांच फाईल करने हेतु हैड कानि0 राजवीर सिंह ने दिनांक 20-9-2022 को पेश की थी जिस पर मैने पृष्ठांकन करते हुए निर्देश दिए थे कि परिवादी की पत्नि के पिताजी के विरूद्व इंसदादी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था इसके अतिरिक्त ना तो मै परिवादी को जानती हूं ना ही परिवादी रिश्वत के संबंध में मेरे से कभी मिला तथा ना ही राजवीर सिंह हैड कानि0 ने रिश्वत के बारे मे मुझे बताया था।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डरो को सरसरी तोर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है। अतः रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन देन की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गई।

पुलिस थाना ज्योतिनगर, जयपुर (दक्षिण) मे कम्प्यूटर रूम मे कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री आकाश कुमार पुत्र श्री सुगनचंद जाति मीना, उम्र 31 साल निवासी ग्राम सरूण्ड, थाना सरूण्ड, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल कानि0 नं0 9736 पुलिस थाना ज्योतिनगर, जिला जयपुर (दक्षिण) से पूछने पर श्री आकाश कुमार ने बताया कि मैने आज राजवीर सिंह हैड कानि0 के कहने पर श्री हेमन्त वर्मा व विकास खण्डेलवाल के बयान कम्प्यूटर मे टाईप किए थे जो श्री राजवीर सिंह जी के बोल-बोलकर टाईप करवाए थे। जिनका प्रिन्ट निकालकर मैने राजवीर सिंह को दिया था मेरे सामने राजवीर सिंह हैड कानि0 ने हेमन्त वर्मा से कोई रूपयो पैसो की बात नही की ना ही मेरे सामने प्राप्त किए।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह, जाति राजपूत, उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम खातीपुरा बाढ तहसील सांगानेर, पोस्ट कपुरावाला, पुलिस थाना मुहाना, जिला जयपुर हाल हैड कानि0 417, पुलिस थाना ज्योतीनगर, जयपुर (दक्षिण) आयुक्तालय जयपुर ने परिवादी श्री हेमन्त वर्मा की पत्नि श्रीमती अंजिता पाण्डेय पत्नि श्री हेमन्त कुमार वर्मा द्वारा पुलिस थाना ज्योतिनगर मे पेश किया गया परिवाद एवं परिवादी के ससुर द्वारा पुलिस थाना ज्योतिनगर मे पेश किया गया परिवाद में मदद करने की ऐवज में 5,000/- रूपये की रिश्वत की मांग करना पाया जाने पर दिनांक 28-9-2022 को ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी को परिवादी श्री हेमन्त वार्मा से 5,000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त कर अपने हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई वर्दी की पेंट की बांयी जेब मे रखना तथा रिश्वती राशि 5,000/- रूपये श्री राजवीर सिंह हैड कानि0 के बदन पर पहनी हुई वर्दी की पेंट की बांयी जेब से बरामद होना पाया गया है जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 का पाया जाने पर आरोपी श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह, जाति राजपूत, उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम खातीपुरा बाढ तहसील सांगानेर, पोस्ट कपुरावाला, पुलिस थाना मुहाना, जिला जयपुर हाल हैड

कानि0 417, पुलिस थाना ज्योतीनगर, जयपुर (दक्षिण) आयुक्तालय जयपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतः आरोपी श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह, जाति राजपूत, उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम खातीपुरा बाढ तहसील सांगानेर, पोस्ट कपुरावाला, पुलिस थाना मुहाना, जिला जयपुर हाल हैड कानि0 417, पुलिस थाना ज्योतीनगर, जयपुर (दक्षिण) आयुक्तालय जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(नीरज भारद्वाज),
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री नारायण सिंह, हैड कानि0 417, पुलिस थाना ज्योतिनगर, जयपुर (दक्षिण) आयुक्तालय, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 389/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3390-94 दिनांक 29.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस उपायुक्त, दक्षिण आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

29.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।